RBI द्वारा NBFC एवं MFI ऋण पर जोखिम भार में कमी करना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के खुदरा क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने के लिये[NBFC] और [सूक्ष्म वित्त संस्थानों] को दिये जाने वाले बैंक ऋणों के **जोखिम भार** को कम कर दिया है।

ऋणों पर जोखिम भार क्या है और इसका NBFC और बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **परिचय: जोखिम भार** एक **प्रतिशत कारक** है जो **बैंक की परिसंपत्तियों,** जिसमें ऋण भी शामिल हैं, को सौंपा जाता है, ताकि**संभावित घाटे को कवर करने के लिये आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित** की जा सके।
  - **उच्च** जोखिम भार से **पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है,** जिससे ऋण महंगा हो जाता है, जबकि**कम** जोखिम भार से **पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है,** जिससे अधिक ऋण देना संभव हो जाता है।
- **मानदंड:** जोखिम भार **क्रेडिट रेटिंग, परिसंपत्ति प्रकार और विनियमों** पर निर्भर करता है। **उच्च रेटिंग** वाले उधारकर्त्ताओं को **निम्न जोखिम भार** मिलता है, जबकि **निम्न रेटिंग** वाले उधारकर्त्ताओं को **उच्च जोखिम भार** का सामना करना पड़ता है।
- **कम जोखिम भार का प्रभाव:**
  - **NBFC को बैंक ऋण देने को प्रोत्साहित करना: बैंकों** को ऋण के लिये **कम पूंजी** रखने की आवश्यकता है, जिससे **NBFC को ऋण देने की उनकी क्षमता बढ़** जाएगी।
  - **ऋण वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव: तरलता में वृद्धि से आवास, उपभोक्ता वित्त एवं MSMEs क्षेत्र में NBFC ऋण** को बढ़ावा मिलता है। ऋण तक बेहतर पहुँच से खुदरा क्षेत्र को लाभ होता है।
  - **वित्तीय स्थिरता में वृद्धि:** ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने से **रोज़गार, आय स्तर एवं वित्तीय लचीलेपन** में वृद्धि होती है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)

- **परिचय:** CAR, **बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप** है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- **घटक:**
  - **टियर-1 पूंजी:** मुख्य पूंजी (**इक्विटी, शेयर पूंजी,रिटेंड अर्निंग**) का उपयोग बैंक के परिचालन जारी रहने तक घाटे को वहन करने के लिये किया जाता है।
  - **टियर-2 पूंजी:** द्वितीयक पूंजी (**अनऑडिटिड रिज़र्व, अधीनस्थ ऋण**) का उपयोग बैंक के बंद होने के समय किया जाता है।
- **विनियामक आवश्यकता:** इसे [बेसल समझौते] द्वारा निर्धारित किया जाता है और केंद्रीय बैंकों (जैसे, भारत में RBI) द्वारा लागू किया जाता है।
  - **बेसल III मानदंडों** के अनुसार, बैंकों को वैश्विक स्तर पर **न्यूनतम 8% का CAR** बनाए रखना आवश्यक होता है जबकि **RBI ने भारतीय बैंकों के लिये इसे 9%** अनिवार्य किया है।
- **महत्त्व:** उच्च CAR यह दर्शाता है कि बैंक **वित्तीय रूप से स्थिर** होने के साथ वित्तीय संकटों से निपटने में सक्षम है।

//

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) ऋण प्रदान करती है, वित्तीय प्रतिभूतियाँ प्राप्त करती है, तथा पट्टे और बीमा सेवाएँ प्रदान करती है। हालाँकि, इसमें मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार या रियल एस्टेट में लगी कंपनियाँ शामिल नहीं होती हैं।

परिचय:

- बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है; भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है; चेक जारी नहीं कर सकती।
- डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा→ NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- सार्वजनिक जमा 12 से 60 महीनों के लिये स्वीकार किये जा सकते हैं (कोई मांग जमा (डिमांड डिपॉज़िट) नहीं)।
- NBFC को निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है।
- डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा→ NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ - व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण, माइक्रोफाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बीमा सेवाएँ, निवेश प्रबंधन।

वर्गीकरण:

प्रमुख गतिविधि के आधार पर:

- एसेट फाइनेंस कंपनी
- निवेश कंपनी
- ऋण कंपनी
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
- कोर निवेश कंपनी
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (NBFC-MFI) मालेगाम समिति की सिफारिश →
- NBFC-फैक्टर्स
- बंधक गारंटी कंपनियाँ
- नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी

वर्गीकरण:

जमा के आधार पर:

- जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
- जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-
  - प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण (NBFC-NDSI)
  - जमा धारित न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ- (NBFC-ND)

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण NBFC:

- 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाले NBFC

विनियमन:

संस्था का प्रकार	नियामक प्राधिकरण
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
मर्चेंट बैंकिंग कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियाँ, स्टॉक ब्रोकिंग, सामूहिक निवेश योजनाएँ (CIS)	सेबी
निधि कंपनियाँ, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियाँ	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)
चिट फंड कंपनियाँ	राज्य सरकार
बीमा कंपनी	IRDA
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियाँ	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमन पर्यवेक्षण और निगरानी। नियामक- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रवर्तन एजेंसी- राज्य सरकारें

NBFC के लाभ:

- वित्तीय समावेशन
- नवोन्मेषी उत्पाद
- चलनिधि
- MSME के लिये सहयोगी

NBFC की चुनौतियाँ:

- वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ
- परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम
- नियामक अनुपालन
- कॉर्पोरेट प्रशासन

The Vision

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

Q. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोज़गार करने वाले दोनों शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली सेवा/सेवाएँ हैं (2011)

1. ऋण सुविधाएँ
2. बचत सुविधाएँ
3. बीमा सुविधाएँ
4. फंड ट्रांसफर सुविधाएँ

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-reduces-risk-weights-on-nbfcs-and-mfis-loans